48/16

A2
5

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 48/2016
अन्तर्गत धारा 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

बलराजसिंह आयु 44 वर्ष आत्मज स्व. श्री मुख्तयारसिंह, जटसिख, गांव गुद्दूवाला चक 37 जी.जी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानगर ...**वादी**

बनाम

हरचन्द्रसिंह आत्मज स्व. श्री वीरसिंह, जटसिख, चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

..**प्रतिवादी**

उपस्थित– श्री मनोज राजवंशी (वादी)
श्री प्रदीप सिहाग (प्रतिवादी)

दिनांक 21 फरवरी, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 21(0.253) हैक्टर कृषि भूमि स्थायी कब्जा के आधार पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवादी के नाम पर खातेदारी सन्द संख्या 375 जारी की गयी है. चक 28 जी.जी. की 12.10 बीघा कृषि भूमि स्व. श्रीमती भागकौर धर्मपत्नी श्री भगवानसिंह के नाम से आवंटित की गयी थी. स्व. श्रीमती भागकोर की एक मात्र उत्तरजीवी संतान श्रीमती आसकौर धर्मपत्नी श्री लालसिंह थी. श्रीमती आसकौर ही श्रीमती भागकौर के जीवनकाल में उसकी सेवा करती थी और श्रीमती भागकौर, श्रीमती आसकौर के पास रह कर अपना जीवन यापन करती थी. श्रीमती भागकौर की मृत्यु श्रीमती आसकौर के निवास स्थान पर ही हुई. जिसकी मृत्योपरान्त नियमानुसार श्रीमती भागकौर को आवंटित कृषि भूमि का नामान्तरकरण श्रीमती आसकौर के नाम किया जाना चाहिये था. स्व. श्रीमती आसकौर धर्मपत्नी श्री लालसिंह के तीन विधि उत्तराधिकारी कमशः श्री इकबालसिंह जिसकी करीब 20 वर्ष पूर्व मृत्योपरान्त उसके उत्तराधिकारी कमशः श्री रूल्दूसिंह, श्री जलन्धरसिंह, श्री मुकन्दसिंह एवं श्री जवन्दसिंह हैं., श्री मुख्तयारसिंह जिसकी सन् 2001 में मृत्योपरान्त उसके उत्तराधिकारी कमशः बलराजसिंह (वादी) एवं श्रीमती सुखविन्द्रकौर. नियमानुसार स्व. श्रीमती आसकौर की मृत्योपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर श्रीमती आसकौर के विधिक उत्तराधिकारियों में विभक्त होनी चाहिये थी. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा श्री हरचन्द को श्रीमती भागकौर धर्मपत्नी श्री भगवानसिंह का

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/6

विधिक उत्तराधिकारी मानकर स्व. श्रीमती भागकौर की चक 28 जी. जी. के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 13–1/2/2, 14 से 25 कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 27 नवम्बर, 1978 के आधार पर खातेदारी सनद संख्या 375 दिनांक 10 जुलाई, 2013 जारी कर दी गयी. जबकि श्री हरचन्दसिंह स्व. श्री वीरसिंह, स्व. श्रीमती भागकौर के विधिक उत्तराधिकारी नही हैं. श्री हरचन्दसिंह व अन्य लोगों ने पंचायत व अन्य पदाधिकारियों से मिलकर षडयन्त्र पूवर्क मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेजों की संरचना कर उनके आधार पर राजकीय अभिलेख में स्व. श्रीमती भागकौर की इस कृषि भूमि का अपने नाम से अन्तरण एवं अमल दरामद करवा लिया गया. जिसकी बाबत वादी के पिता एवं चाचा अपने जीवनकाल में मुकदृमें लड़ते रहे एवं सन् 2001 में उनकी मृत्यु हो गयी. श्रीमती भागकौर की मृत्योपपरान्त प्रारम्भ से ही इस प्रासंगिक कृषि भूमि का नामान्तरकरण एव अमल दरामद विधि विद्व तरीका से दर्ज रिकार्ड हुआ है. वादी को जैसे ही इस आश्य का संज्ञान हुआ, जुलाई, 2013 में सक्षम अधिकारियों को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया किन्तु वादी को यथोक्त समय प्राप्त नहीं हुआ व बिना समुचित सुनवाई किये सक्षम अधिकारी ने एक पक्षीय आदेश पारित कर विधि विरूद्व सनद संख्या 375 जारी कर दी. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक पुर्नवास/13/1085 दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार कार्यालय अभिलेखानुसार स्व. श्रीमती भागकौर धर्मपत्नी श्री भगवानसिंह को चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 20 के 12.10 बीघा कृषि भूमि क्लेम के आधार पर आवंटित थी. श्रीमती भागकौर की मृत्योपरान्त बेसिक पंजिका के आधार पर वारिसनामा सर्वश्री शेरसिंह एवं श्री केयरसिंह आत्मजन श्री समुन्द्रसिंह ¼ हिस्सा, श्री थमनसिंह, श्री वीरसिंह एवं श्री बोगासिंह आत्मजन श्री वजीरसिंह ¼ हिस्सा, श्री गज्जनसिंह आत्मज श्री निक्कासिंह ¼ हिस्सा, श्री भागसिंह आत्मज श्री हरनामसिंह, श्री केयरसिंह, श्री हरनेकसिंह आत्मजन श्री निहालसिंह ¼ हिस्सा, श्री जसवन्तसिंह, श्री करनैलसिंह, श्री जरनैलसिंह आत्मजन श्री केयरसिंह, जटसिख के नाम चक 28 जी. जी. के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21(1.00) बीघा कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 27 नवम्बर, 1978 को सही मानते हुऐ श्री हरचन्दसिंह आत्मज स्व. श्री वीरसिंह के नाम से चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21(1.00) बीघा कृषि भूमि की खातेदारी सनद जारी करने के आदेश पारित किये गये. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश एवं जारी खातेदारी सनद संख्या 375 दिनांक 10 जुलाई, 2013 विधि सम्मत नहीं है क्योंकि श्री हरचन्दसिंह आत्मज श्री वीरसिंह, स्व. श्रीमती भागकौर एवं स्व. श्रीमती आसकौर के विधिक उत्तराधिकारी नहीं हैं व न ही उत्तरजीवी विधिक उत्तराधिकारी हीं हैं. श्री गजनसिंह स्व. श्रीमती भागकौर की बहन का पुत्र बताया गया है चूंकि स्व. श्रीमती भागकौर की उत्तरजीवी केवल मात्र

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

श्रीमती आसकौर अकेली सन्तान थी और श्रीमती आसकौर ही श्रीमती भागकौर की विधिक उत्तराधिकारी थी. इसलिये विधि में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार श्रीमती आसकौर के जीवित रहते श्रीमती भागकौर की अचल सम्पत्ति का अन्तरण एवं नामान्तरकरण श्रीमती आसकौर के अतिरिक्त अन्य के पक्ष में नहीं किया जा सकता. किन्तु श्री गज्जनसिंह व अन्य द्वारा कूटरचना व षडयन्त्र से श्रीमती भागकौर की कृषि भूमि का अन्तरण एवं नामान्तरकरण विधि विरूद्व अपने नाम से करवा लिया गया है. ग्राम पंचायत गुद्दूवाला से प्राप्त प्रमाणपत्र दिनांक 19 जून, 1983 से यथोक्त पुष्टि होती है कि श्रीमती भागकौर धर्मपत्नी श्री भगवानसिंह की एकमात्र श्रीमती आसकौर धर्मपत्नी स्व. श्री लालसिंह एकमात्र संतान एवं विधिक उत्तराधिकारी है. श्री मोदनसिंह आत्मज स्व. श्री हरीसिंह आयु 93 वर्ष द्वारा अपने शपथपत्र से सिद्व किया गया है कि स्व. श्रीमती भागकौर की एकमात्र संतान श्रीमती आसकौर थी, इसी प्रकार श्रीमती मुख्तयारकौर धर्मपत्नी श्री बलवीरसिंह आत्मजा श्रीमती आसकौर द्वारा निष्पादित शपथपत्र के अनुसार स्व. श्रीमती भागकौर की एकमात्र संतान श्रीमती आसकौर थी. ग्राम पंचायत, पदमपुर से जारी प्रमाणपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013 से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्व. श्रीमती भागकौर की एकमात्र संतान श्रीमती आसकौर थी. ग्राम पंचायत, गुद्दूवाला, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से प्राप्त वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2013 से स्पष्ट है कि श्री इकबालसिंह, स्व.श्रीमती आसकौर धर्मपत्नी श्री लालसिंह, जटसिख, चक 37 जी.जी. की मृत्योपरान्त उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं. इससे स्पष्ट है कि स्व. श्रीमती भागकौर की वर्णित कृषि भूमि का श्री हरचन्दसिंह के नाम से अन्तरकरण एवं नामान्तरकरण गलत एवं विधि विरूद्व दर्ज किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है. तथा श्री हरचन्दसिंह के नाम पर जीर सन्द निरस्त की जाकर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश अपास्त किये जावे तथा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादी क पक्ष में की जावे. कब्जा रिदलवाया जावे. प्रतिवादी के नाम से जारी नामान्तरकरण एवं सन्द को शून्य घोषित किये जाने योग्य है. धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुसार ऐसा वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष लाने के लिये कोई समायावधि सुनिश्चित नहीं हैच. वादपत्र में केवल अधिकारों की घोषणा होती है. ऐसी परिस्थति में, यद्यपि वर्णित कृषि भूमि की प्राप्त के उद्देश्य से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 40/2014 में मा. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा इस निर्देश के साथ कि मूल आवंटी की काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है तथा सन्द जारी होने के कारा उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरकरण का यदि कोई निर्धारण किया जाना है तो उसके उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना है. सम्बन्धित तहसीलदार का दायित्व है कि मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों की जांच कर रिकार्ड अदिनांकित करे. यदि उत्तराधिकारियों के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

मध्य हकों के सम्बन्ध में कोई कानूनी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है. इस हेतु वाद हाने के लिये पक्षकार स्वतन्त्र हैं. माननीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण दिनांक 19 जनवरी, 2016 को किया गया है दिनांक 20 एवं 21 को द्वितीय शनिवार एवं रविवार का राजपत्रित अवकाश होने के परिणामतः वादपत्र निर्धारित समयावधि में उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है. इस प्रकार वादी द्वारा धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 21(0.253) हैक्टर कृषि भूमि की पूर्व में जारी खातेदारी सनद संख्या 375 एवं नामान्तरकरण संख्या 41 को शून्य घोषित किया जाकर वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने, धारा 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवादी के विरूद्व इस आश्य की कि, प्रतिवादी प्रश्नगत कृषि भूमि का अन्तरण वादी को करे एवं प्रश्नगत कृषि भूमि का प्रतिवादीगण से वादी को शान्तिपूवर्क तरीका से कब्जा एवं जोत दिलवाये जाने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में ग्राम पंचायत गुद्दूवाला द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 09 जून, 1983, शपथपत्र श्री मोदनसिंह दिनांक 19 जुलाई, 2013, शपथपत्र श्री मुख्तयारकौर दिनांक 19 जुलाई, 2013, ग्राम पंचायत, 37 जी.जी. द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2013, वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2013, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2013, खातेदारी सनद संख्या 376, श्री मुख्तयारसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 7 मार्च, 2001, ग्राम पंचायत, 37 जी.जी. द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2016 एवं न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 40/2014 में पारित निर्णय दिनांक 19 जनवरी, 2016 की प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2016 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा विचाराधीन वादपत्र चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 21 की 0.253 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी के स्थायी कब्जा के आधार पर खातेदारी सनद संख्या 375, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर से प्राप्त कर ली गयी जो कि निरस्तनीय है. वादी के नाम पर प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है. क्योंकि वादी द्वारा स्वयं को श्रीमती आसकौर का वारिस बताया है तथा श्रीमती आसकौर को स्व. श्रीमती भागकौर धर्मपत्नी श्री भगवानसिंह का एकमात्र वारिस होने के कथन किये गये हैं. श्रीमती भागकौर को चक 28 जी.जी. जोधेवाला, श्रीगंगानगर की 12.10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादहेतुक नहीं दर्शाया गया है तथा वादपत्र में सनद संख्या 375 को प्रभावशून्य एवं निरस्त करवाने की घोषणा चाही गयी है. विधिनुसार किसी भी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अधिकृत अभिलेख को शून्य एवं निरस्त करवाने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है, केवल मात्र सिविल न्यायालय ही किसी अभिलेख को शून्य एवं निरस्त करने में सक्षम है. इस प्रकार वादहेतुक दर्शित न होने एवं विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादपत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया.

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 27 मार्च, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन आवेदनपत्र में वादहेतुक नहीं दर्शाने का अभिकथन किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा वादपत्र का सही रूप से अध्ययन नहीं किया गया अन्यथा प्रतिवादी को वादपत्र के अध्ययन मात्र से ही स्पष्ट हो जाना चाहिये था कि वादी द्वारा धारा 88 एवं 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम के अवलम्ब से खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वादपत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसमें चक 28 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 21 के 0.253 हैक्टर कृषि भूमि की जारी सन्द संख्या 375 एवं नामान्तरकरण संख्या 41 को शून्य घोषित कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादी के पक्ष में किये जाने की मांग की गयी है. चूंकि प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि पर विगत लम्बी अवधि से काबिज है. इसलिये बेकाबिज होकर कृषि भूमि का अन्तरण वादी को किये जाने की मांग की गयी है यह इम्प्लाईड है कि प्रतिवादी वादी की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज है और वादी द्वारा अपनी कृषि भूमि की प्राप्ति एवं खातेदारी घोषणा तथा पूर्व में जारी सन्द निरस्त किये जाने की मांग की गयी है, यही वादहेतुक है. केवल मात्र शब्दों में शीर्षक देकर वादहेतुक लिख देना या मांग कर लेने से कोई अधिक महत्व नहीं होता है. इस प्रकार विचाराधीन आवेदनपत्र औचित्यहीन होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वादपत्र निम्नलिखित स्थिति में ही नामंजूर किया जायेगा–

क. जहां वाद हेतुक पृकट नहीं करता है,

घ. जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है.

आदेश 7 नियम 11(क) व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसार किसी भी वादपत्र में वादहेतुक कब व किस प्रकार उत्पन्न हुआ, का अंकन करने के आज्ञापक प्रावधान हैं किन्तु विचाराधीन वादपत्र में

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2
10

वादी को प्रतिवादी के विरूद्व कब व किस प्रकार से वादहेतुक उत्पन्न हुआ है, का उल्लेख नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी–श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद संख्या 375 को सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है इस प्रकार विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा बाधित है. ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(क) एवं (घ) व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में, विचाराधीन वादपत्र पोषणीय नहीं है.

।। आदेश ।।

वादपत्र निरस्त किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय अधिवक्तागण के समक्ष खुले लोक अदालत न्यायालय में आज दिनांक 21 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक श्रीगंगानगर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर